न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

मुकदमा नं0 टेनेन्सी- 13/2014

तारीख रजू.- 19.08.2014

पीठासीन अधिकारी

जगदीश आर्य

(आर0ए0एस0)

बनाम

1. मसूद अहमद पुत्र मकसूद हुसैन
2. मुहीद अहमद पुत्र मकसूद हुसैन
3. जमील अहमद पुत्र मकसूद हुसैन

जाति मुसलमान निवासी काजीवाड़ा टोडाभीम जिला करौली —सायलान

विरुद्ध

1. वनप्रसार अधिकारी मुख्यावासी तहसील नादौती
2. उपवन संरक्षक, भूसंरक्षण करौली
3. सरकार जरिये जिला कलेक्टर करौली
4. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार टोडाभीम

—गैरसायलान

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति—

श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट — सायलान

श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट —गैरसायलान

दिनांक 21.12.2015

निर्णय

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य है कि आराजी साबिक खसरा नं0 175/351 मिन रकबा 44 बीघा ग्राम असरी के हाल खसरा नं0 574, 589, 590, 591, 592, 835, 574/929 खातेदारी महकमा जंगलात के हक मे दर्ज है यह भूमि सायलान के कब्जे एवं खातेदारी की भूमि है जो अपने पूर्वजो के समय से मवेशी चराते आ रहे है जिसकी खातेदारी सम्वत् 2012 तक सायलान के पूर्वज महदूदहक के नाम है। रेवन्यु कर्मचारीयो ने गैरकानूनी तरीके से सम्वत् 2009 से 2012 मे अवैध रूप से आदेश सं0 430 दिनांक 07.05.1957 का नोट डाल दिया है तथा खातेदारी खत्म कर दी है जबकि ऐसा आदेश बिना सुनवाई के दिया गया है रिकार्ड दुरस्त किया जाना न्यायसंगत है तथा रिलिफ चाही गई है कि गैरसायलान को पाबंद किया जावे कि सायलान को भूमि से बेदखल नही करे, शान्तिपूर्वक काबिज रहने देवें।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर नोटिस विपक्षीगण जारी किये गयें। विपक्षीगण की तरफ से उनके वकील उपस्थित होकर जबाब पेश किया तथा जबाब मे कहा कि यह भूमि विवादित जिला कलेक्टर के आदेश से महकमा जंगलात दर्ज हुई है

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

जिनकी जानकारी सायलान व उनके बुजुर्गे को है। सायलान तथा उनके बुजुर्गो का इस भूमि पर सम्वत् 2009 से आज तक कभी भी कब्जा नही रहा है। महकमा जंगलात का ही कब्जा है सायलान ने जिला कलेक्टर के आदेश की अपील नही की है यह आदेश आज तक यथावत् है। न्यायालय हाजा को ऐसे मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। महकमा जंगलात राज0 सरकार की भूमि मे किसी भी व्यक्ति को कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नही होते है इसलिये प्रार्थनापत्र टी0आई0 खारिज की जावें।

दोनो पक्षो के वकील की बहस सुनी गई तथा उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि जिला कलेक्टर करौली के आदेश दिनांक 07.05.1957 से महकमा जंगलात के नाम खातेदारी हुई है यह आदेश आज तक यथावत हैं महकमा जंगलात राजस्थान सरकार की भूमि मे कोई अधिकार सायलान को कानूनन प्राप्त नही होते है इसलिये प्रार्थनापत्र टी0आई. खारिज होने योग्य है।

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2015 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

Scanned by CamScanner